देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: *अधिसूचना* :—

अधिसूचना संख्या 653/भू अ०

दिनांक : 11/9/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–असहना, थाना–देवघर, थाना सं०–606, अंचलः–देवघर , जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर–मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–असहना, थाना–देवघर, थाना सं०–606, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.42 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	109	रैयती	बाड़ी–2	0.06	बद्री राउत पे0 स्व0 बम राउत।	भितिया	चमरा कनाली	तेतरिया	भितिया
2	3	141	रैयती	बाड़ी–1	0.015	तथैव				
3	3	110	रैयती	बाड़ी–2	0.04	वासुदेव राउत वो जगदीश राउत पे0 बालो राउत वो सुकदेव राउत पे0 स्व0 मुन्नी राउत।				
4	3	112	रैयती	बाड़ी–2	0.065	तथैव				
5	3	137	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव				
6	3	111	रैयती	बाड़ी–2	0.09	बद्री राउत पे0 स्व0 बम राउत वो बासदेव राउत वो जगदीश राउत पे0 बालो राउत वो सुकदेव राउत पे0 स्व0 मुन्नी राउत।				
7	3	136	रैयती	बाड़ी–1	0.06	तथैव				
8	3	142	रैयती	बाड़ी–1	0.07	तथैव				
				कुल रकवा–	0.42					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन केबिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

9.9.17 जिला भू अर्जन पदाधिकारी

9/9/17

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

E:\2015 L.A (B.K.)\All Project For Road\Deoghar To Madhupur Road\Adhisuchana\2nd Time\Ashana.Docx

ज्ञापांक 653/ भू अ०, देवघर, दिनांक 11/9/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी <u>असाधारण / पाक्षिक</u> अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

9/9/17

समाहर्त्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

9-9-17
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

E:\2015 L.A (B.K.)\All Project For Road\Deoghar To Madhupur Road\Adhisuhna\2nd Time\Ashana.Docx